Action taken report in reference of Hon'ble NGT, New Delhi O.A. No-162/2020 Vibhor Mittal Vs M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. Central Park Ram Sudha Apartment, Swarn Jayanti Nagar Aligarh.

Hon'ble NGT, New Delhi has passed an order dated 14.08.2020 in OA No-162/2020 Vibhor Mittal Vs M/s Unnati Construction Pvt Ltd Central Park Rama Sudha Apartment, Swarn Jayanti Nagar, Aligarh. The operating part of the order is mentioned below.

" In view of the above, let the UPPCB furnish a factual and action taken report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF."

1- As per record of office Sh. Vibhor Mittal has filed a complaint in Regional Office UPPCB, Aligarh regarding Water Pollution against M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. on 10.04.2019. The site insepection was conducted by the Regional Office, Aligarh on 23.04.2019 against the complaint of Mr. Vibhor Mittal. Based on the facts observed during inspection a Notice was issued to M/s Unnati Construction Pvt Ltd, Aligarh by UPPCB, Aligarh vide its letter no. 593 dated 04.05.2019 for compliance of Water (Pollution Prevention and Control) Act, 1974 as amended. **Enclosed- Annex.-01(Copy of Notice).**

2- M/s Unnati Construction Pvt Ltd, Aligarh has replied through its letter dated 02.07.2019 and informed that 62 nos. of Flats have been constructed in the apartment. The Domestic Waste generated from the flat holders is collected and treated through a Pakka Septic Tank.

3- The collected sewage of the Septic Tanks is pumped out side premise in the low lying land without any further treatment.

4- In the absence of any reply against the Notice issued by the Regional Office dated 04.05.2019. Apartment was inspected on 20.03.2020 by UPPCB, Aligarh on 20.03.2020 and the sample was collected from the outlet of Septic Tank through Pump and got analyzed in the Lab of UPPCB, Aligarh. The detail of analyzed polluting parameters are mentioned below:

S.No.	Parameters	Analyzed Value	Applicable Standards
1.	TSS	128 mg/l	100 mg/l
2.	BOD	62 mg/l	30 mg/l
3.	COD	288 mg/l	250 mg/l

The analyzed values are not found as per applicable norms.

5- In the absence of proper reply for Water Pollution Control against the Notice dated 04.05.2019. Apartment was again inspected by the Regional Office, Aligarh and during inspection sample was drawn from Septic Tank on 01.09.2020. The analyzed value of different Polluting parameters of the sample collected on 01.09.2020 are mentioned below:

S.No.	Parameters	Analyzed Value	Applicable Standards
1.	TSS	140 mg/l	100 mg/l
2.	BOD	76 mg/l	30 mg/l
3.	COD	208 mg/l	250 mg/l

Apart from above sample, another sample was also drawn from the land in which sewage is discharged by Unnati Construction Pvt. Ltd. From the apartment during inspection dated 01.09.2020 which is also not found as per standard applicable. The results are mentioned below:

S.No.	Parameters	Analyzed Value	Applicable Standards
1.	TSS	130 mg/l	100 mg/l
2.	BOD	68 mg/l	30 mg/l
3.	COD	188 mg/l	250 mg/l

6- The apartment constructed by M/s Unnati Construction Pvt. Ltd, Aligarh has neither obtained CTE for establishment nor CTO for the operation of apartment under the Provision of Water (Pollution Prevention and Control) Act, 1974 as amended. The said apartment has not established the required water pollution control facility and also not submitted any time bond proposal for establishment of STP even after issuing the notices for the compliance of the Act.

7- Due to non-compliance of Water (pollution prevention and control) Act, 1974. The apartment i.e. M/s Unnati Construction Pvt Ltd., Central Park Ram Sudha Apartment, Swarn Jayanti Nagar Aligarh was issued a notice vide letter no. H54095/C-4/C-II/699/2020 dated 20.10.2020 by UPPCB, Lucknow to explained the reason of non-compliance. **Enclose- Annex.-02.** But unit did not respond against above mentioned notice and ultimately a show cause notice vide letter no. H54875/C-4/I-193/s.c.no./2020 dated 11.11.2020 for imposition of Environmental Compensation of Rs. 10,37,500.00 and to file complaint in the Hon'ble court against the occupier/responsible officer under the Water Act against the non compliance of the Water Act, 1974 **Enclose- Annex.-03**.

8- The Head Office has issued direction for the impose Environmental Compensation against the M/s Unnati Construction Pvt Ltd, Aligarh vide letter No-H54095/c-4/C-II/699/2020 dated 20.10.2020 under Water (Pollution Prevention and Control) Act, 1974 provisions. **Enclose- Annex.-04.**

9- The Regional office recommended to impose Environmental Compensation Rs. 10,37,500/- against M/s Unnati Construction Pvt Ltd, Aligarh to the head office Vide Letter No-1566 dated 29.10.2020. **Enclose- Annex.-05.**

10- Head Office issued a Show Cause Notice vide letter no. H54875/C-4/II-193/s.c.no./2020 dt. 11.11.2020 with direction of-

a. Closure order should be issued against M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. Central Park, Ramsudha Apartment, Swarn Jayanti Nagar, Aligarh and legal case should be filed against responsible persons of society.

b. Electricity supply should be disconnected with immediate effect.

c. Environmental Compensation Rs. 10,37,500/- (Rs. Ten Lack Thirty Seven Thousand five hundred only) should be imposed against M/s Unnati Construction Pvt. Ltd. Central Park, Ramsudha Apartment, Swarn Jayanti Nagar, Aligarh of the violation Water (Pollution Prevention & Control) Act, 1974 amendment Section 25/26 and Hon;ble NGT guidelines. **Enclose- Annex.-06.**

(Upendra Prasad)	(B.D. Sharma)	(Ram Gopal)
J.E.	A.E.E.	R.O.

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

संलग्नक-1

पत्रांक 593/नोटिस/2019 दिनांक 04.05.19

(1)

सेवा में,

मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0,
(मै0 सेन्ट्रल पार्क रामासुधा अपार्टमेन्ट)
द्वारा श्री देवेश कुमार गोयल,
स्वर्ण जयन्ती नगर, जनपद–अलीगढ़।

विषयः–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके अपार्टमेन्ट के विरूद्ध शिकायती पत्र कार्यालय में दिनांक 10.04.2019 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में कार्यालय आपके अपार्टमेन्ट का निरीक्षण दिनांक 23.04.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता के भाई श्री हर्ष मित्तल से सम्पर्क किया गया, इनके द्वारा अवगत कराया गया कि अपार्टमेन्ट 03 टॉवर, जिसमें लगभग 72 फ्लैट स्थापित है तथ 50 फ्लैटों में परिवार रहते हैं। फ्लैटों से उत्पन्न घरेलू मलजल के निस्तारण हेतु आपके अपार्टमेन्ट में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। अपार्टमेन्ट के बराबर में खाली पडी जमीन पर घरेलू मलजल एकत्रित पाया गया, जिसके विषय में शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यह अपार्टमेन्ट से उत्पन्न मलजल ही है। आपकी इकाई के पत्रालेख कार्यालय में खोजे गये परन्तु अभिलेख प्राप्त न हो सके, जिससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये उक्त अपार्टमेन्ट का निर्माण कार्य किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा अपार्टमेन्ट की स्थापना एवं संचालन किन परिस्थितियों में बिना बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये हुए किया गया है के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस के अन्तर्गत कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके अपार्टमेन्ट के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के सन्दर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(राम गोपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–श्री विभोर मित्तल, 201, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

Sikayat Notice

डाक प्राप्ति
संलग्नक-2 दिनांक 27/10/20 हस्ताक्षर
सं0 1024 फाइल सं0

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– H54095 / सी–4 / सा–II / 699 / 2020 दिनांक– 20-10-2020

सेवा में,

मेसर्स उन्नति कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0,
सेन्ट्रल पार्क, रामा सुधा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण जयन्ती नगर,
जिला–अलीगढ़।

विषय– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री विभोर मित्तल, अलीगढ़ द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में आपके अपार्टमेन्ट से हो रहे जल प्रदूषण के परिपेक्ष्य में की गई शिकायत पर ओ0सं0–162/2020 में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 के अनुपालनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री वी0के0 पाठक (प्रबन्धक) की उपस्थिति में दिनांक 01.09.2020 को किया गया। प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार आपके परिसर से निस्तारित प्रदूषित घरेलू जल–मल आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिसकी पुष्टि दिनांक 01.09.2020 को एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या से होती है।

इसी अनुक्रम में पूर्व में भी आपके अपार्टमेन्ट का निरीक्षण (प्राप्त शिकायत के आधार पर) क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 20.03.2020 को भी किया था, जिसमें सेप्टिक टैंक से निस्तारित घरेलू जल–मल निर्धारित मानकों के अनुरुप नहीं पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1– कुल निलम्बित ठोस–128.0 मिली ग्रा0/ली0 (निर्धारित मानक 100.0 मिली ग्रा0/ली0)
2– बी0ओ0डी0– 62.0 मिली ग्रा0/ली0 (निर्धारित मानक 30.0 मिली ग्रा0/ली0)
3– सी0ओ0डी0–288.0 मिली ग्रा0/ली0 (निर्धारित मानक 250.0 मिली ग्रा0/ली0)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड के निर्देशों के बावजूद जनित दूषित घरेलू जल–मल को निर्धारित मानकों के अनुरुप शोधित करने हेतु व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपनी आख्या एवं मानकों के अनुरुप जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समयबद्ध प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए आपके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 33(ए) में कारण बताओ नोटिस के साथ–साथ अपार्टमेन्ट के मालिकान एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 43/44 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने की कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

27/10/2020

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उल्लंघन दिवसों की गणना कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक 08.02.2019 के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण का प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

संलग्नक-3

11-11-20

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या : 1124875 दिनांक 11-11-2020

सी–4 / सा–II–193 / का0ब0नो0 / 2020

मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0,
सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर,
अलीगढ़।

मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ जिसमें लगभग 50 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, 61 फ्लैट का अपार्टमेन्ट उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध पूर्व प्राप्त शिकायत पर जांचोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र सं0 593 / नोटिस / 2019 दिनांक 04–05–2019 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुपालन में नोटिस प्रेषित किया गया था किन्तु मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा अनुपालन नही किया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ में मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 162 / 2020 दिनांक 14.08.2020 विभोर मित्तल बनाम् उन्नति कन्स्ट्रक्श्ज़न प्रा0लि0 के संदर्भ में मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.09.2020 को श्री वी0के0 पाठक, मैनेजर (मै0 उन्नति कान्सट्रक्शन) की उपस्थिति में किया गया।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के उक्त अपार्टमेंट में 61 फ्लैट हैं, जिनमें रहने वाले व्यक्तियों से जनित जलमल के शोधन हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नही की गयी है। दिनांक 01.09.2020 को किये गये निरीक्षण में पाया गया कि अपार्टमेंट से जनित घरेलू मलजल को पहले जमीन के अन्दर बने टैंक में एकत्रित किया जाता है तथा टैंक भरने पर पम्प के माध्यम से दूषित घरेलू उत्प्रवाह को अपार्टमेंट की बाउण्ड्री के बाहर नाली में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय नाली में अन्य आवासीय कालोनी का पानी मिलकर अपार्टमेन्ट के बगल में स्थित लो लैण्ड में एकत्रित होता हुआ पाया गया।

यह कि अपार्टमेंट से जनित दूषित जलमल के एकत्रण हेतु अपार्टमेंट परिसर के अन्दर स्थित टैंक में एकत्रित प्रदूषित जलमल का नमूना दिनांक 01.09.2020 को एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया जिसमें प्राचलक बी0ओ0डी0– 76 मि0ग्रा0 / ली, सी0ओ0डी0– 208 मि0ग्रा0 / ली0 एवं सस्पेन्डेड सालिड– 140 मि0ग्रा0 / ली0 पायी गयी जो निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त प्रदूषित प्राचलकों का सीवेज परिसर के बाहर समय समय पर निस्तारित किया जाता रहता है जिससे आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से नकारा नहीं जा सकता है।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध पूर्व प्राप्त शिकायत पर राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.03.2020 को निरीक्षण किया गया था। दिनांक 20.03.2020 को भी मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के परिसर से बाहर निस्तारित घरेलू जलमल के एकत्रित नमूनों में बी0ओ0डी0– 62 मि0ग्रा0 / ली0, सी0ओ0डी0–288 मि0ग्रा0 / ली0 एवं सस्पेन्डेड सालिड– 140 मि0ग्रा0 / ली0 पाया गया था।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा अपार्टमेंट के निर्माण करने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति जल / वायु प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 एच–54095/सी–4/सा–II–699/2020 दिनांक 20.10.2020 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था, जिसके अनुपालन में इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रांक 937/आजी–224/2020 दिनांक 17.09.2020 में मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत विधिक कार्यवाही एवं 1566/ओजी–224/2020 दिनांक 29.10.2020 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ की संस्तुति दिनांक 17.09.2020 एवं 29.10.2020 के आधार पर बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये अपार्टमेंट का निर्माण/संचालन कर परिसर से बाहर प्रदूषित सीवेज निस्तारित करने के कारण मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा – 33ए के अंतर्गत के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये अपार्टमेंट का निर्माण/संचालन कर लिये जाने के कारण सन्दर्भित अपार्टमेंट के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर कम्पनी के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वे आपके अपार्टमेंट को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए अपार्टमेंट को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्यों न मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 का किये गये उल्लंघन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 6250/– प्रति उल्लंघन प्रतिदिन के आधार पर 166 दिनों के उल्लंघन हेतु कुल रू0 10,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दिया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/आख्या पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से।

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. सचिव, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या बोर्ड को नियत अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

डाक प्राप्ति
संलग्नक-4 दिनांक 27/10/20 हस्ताक्षर ...
सं0 1025 फाइल सं0 ...

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

(5)

संदर्भ संख्या– H54095 / सी–4 / सा– I I / 699 / 2020 दिनांक– 20-10-20

सेवा में,

मेसर्स उन्नति कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0,
सेन्ट्रल पार्क, रामा सुधा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण जयन्ती नगर,
जिला–अलीगढ़।

विषय– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री विभोर मित्तल, अलीगढ़ द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में आपके अपार्टमेन्ट से हो रहे जल प्रदूषण के परिपेक्ष्य में की गई शिकायत पर ओ0सं0–162 / 2020 में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 के अनुपालनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री वी0के0 पाठक (प्रबन्धक) की उपस्थिति में दिनांक 01.09.2020 को किया गया। प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार आपके परिसर से निस्तारित प्रदूषित घरेलू जल–मल आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिसकी पुष्टि दिनांक 01.09.2020 को एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या से होती है।

इसी अनुक्रम में पूर्व में भी आपके अपार्टमेन्ट का निरीक्षण (प्राप्त शिकायत के आधार पर) क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 20.03.2020 को भी किया था, जिसमें सेप्टिक टैंक से निस्तारित घरेलू जल–मल निर्धारित मानकों के अनुरुप नहीं पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1– कुल निलम्बित ठोस–128.0 मिली ग्रा0 / ली0 (निर्धारित मानक 100.0 मिली ग्रा0 / ली0)
2– बी0ओ0डी0– 62.0 मिली ग्रा0 / ली0 (निर्धारित मानक 30.0 मिली ग्रा0 / ली0)
3– सी0ओ0डी0–288.0 मिली ग्रा0 / ली0 (निर्धारित मानक 250.0 मिली ग्रा0 / ली0)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड के निर्देशों के बावजूद जनित दूषित घरेलू जल–मल को निर्धारित मानकों के अनुरुप शोधित करने हेतु व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपनी आख्या एवं मानकों के अनुरुप जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समयबद्ध प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए आपके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 33(ए) में कारण बताओ नोटिस के साथ–साथ अपार्टमेन्ट के मालिकान एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 43 / 44 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने की कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

27/10/2020

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उल्लंघन दिवसों की गणना कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक 08.02.2019 के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण का प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

संलग्नक-5

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1566/OG-224/2020 दिनांक 29/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मै0 उन्नति कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामसुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्तीनगर, जनपद अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांकःएच54095/सी–4/सा–II/699/ 2020 दिनांक 20.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से सन्दर्भित अपार्टमेंट के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन कर कुल रू0 10,37,500/– (रू0 दस लाख सैंतिस हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि का क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राम गोपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड,अलीगढ़–202001
Office Address : J-1, Gyan Sarovar Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001
Phone & Fax : 0571 2743521
E-mail : roaligarh@uppcb.com

(7)

उन्नति कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामसुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्तीनगर, जनपद अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपार्टमेंट को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांकःएच54095/सी–4/सा–II/699/2020 दिनांक 20.10.2020 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। तत्क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाइन दिनांक 08.02.2019 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देशित किया गया है।

उक्त सन्दर्भित अपार्टमेंट का पूर्व में दिनांक 20.03.2020 को इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण के समय अपार्टमेंट में एस0टी0पी0 स्थापित नहीं पाया गया एवं दिनांक 20.03.2020 को सेप्टिक टैंक से निस्तारित घरेलू जल–मल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। पूर्व में पुनः अपार्टमेंट का निरीक्षण दिनांक 01.09.2020 को इस कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय भी अपार्टमेंट में एस0टी0पी0 स्थापित नहीं पाया गया। घरेलू जल–मल को सेप्टिक टैंक के माध्यम से पम्प द्वारा अपार्टमेंट के पास रिक्त प्लाट में निस्तारित होता हुआ पाया गया। दिनांक 01.09.2020 को निरीक्षण के दौरान एकत्र किये गये नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी। विस्तृत निरीक्षण आख्या इस कार्यालय के पत्रांकः937/ओजी–224/2020 दिनांक 17.09.2020 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निरीक्षण दिनांक 20.03.2020 से 01.09.2020 तक उल्लंघन दिवसों की संख्या–166 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार हैः–

PI- 50

N- 166

R- 250

S- 0.5

LF- 1.0

EC= PIxNxRxSxLF

Hence EC= 50x166x250x0.5x1

= 10,37,500.00

उपरोक्तानुसार रू0 10,37,500.00 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित सहित आख्या सादर प्रेषित।

(उपेन्द्र प्रसाद)
अवर अभियन्ता

(बी0डी0 शर्मा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

28/10/2020

Ind. Ins. Report/20

11-11-20
संलग्नक-6

(8)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या : 4548/5 दिनांक 11-11-2020

सी–4/सा–II–193/का0ब0नो0/2020

मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0,
सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर,
अलीगढ़।

मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ जिसमें लगभग 50 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, 61 फ्लैट का अपार्टमेन्ट उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध पूर्व प्राप्त शिकायत पर जांचोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र सं0 593/नोटिस/2019 दिनांक 04–05–2019 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुपालन में नोटिस प्रेषित किया गया था किन्तु मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा अनुपालन नही किया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ में मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 162/2020 दिनांक 14.08.2020 विभोर मित्तल बनाम् उन्नति कन्स्ट्रक्श्ज़न प्रा0लि0 के संदर्भ में मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.09.2020 को श्री वी0के0 पाठक, मैनेजर (मै0 उन्नति कान्सट्रक्शन) की उपस्थिति में किया गया।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के उक्त अपार्टमेंट में 61 फ्लैट हैं, जिनमें रहने वाले व्यक्तियों से जनित जलमल के शोधन हेतु उचित व्यवस्था स्थापित नही की गयी है। दिनांक 01.09.2020 को किये गये निरीक्षण में पाया गया कि अपार्टमेंट से जनित घरेलू मलजल को पहले जमीन के अन्दर बने टैंक में एकत्रित किया जाता है तथा टैंक भरने पर पम्प के माध्यम से दूषित घरेलू उत्प्रवाह को अपार्टमेंट की बाउण्ड्री के बाहर नाली में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय नाली में अन्य आवासीय कालोनी का पानी मिलकर अपार्टमेन्ट के बगल में स्थित लो लैण्ड में एकत्रित होता हुआ पाया गया।

यह कि अपार्टमेंट से जनित दूषित जलमल के एकत्रण हेतु अपार्टमेंट परिसर के अन्दर स्थित टैंक में एकत्रित प्रदूषित जलमल का नमूना दिनांक 01.09.2020 को एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया जिसमें प्राचलक बी0ओ0डी0– 76 मि0ग्रा0/ली, सी0ओ0डी0– 208 मि0ग्रा0/ली0 एवं सस्पेन्डेड सालिड– 140 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी जो निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त प्रदूषित प्राचलकों का सीवेज परिसर के बाहर समय समय पर निस्तारित किया जाता रहता है जिससे आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से नकारा नहीं जा सकता है।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध पूर्व प्राप्त शिकायत पर राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.03.2020 को निरीक्षण किया गया था। दिनांक 20.03.2020 को भी मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के परिसर से बाहर निस्तारित घरेलू जलमल के एकत्रित नमूनों में बी0ओ0डी0– 62 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–288 मि0ग्रा0/ली0 एवं सस्पेन्डेड सालिड– 140 मि0ग्रा0/ली0 पाया गया था।

यह कि मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा अपार्टमेंट के निर्माण करने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

0/1486/JR
Forw.
11/11/2020

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

9

यह कि इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 एच–54095/सी–4/सा–।।–699/2020 दिनांक 20.10.2020 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था, जिसके अनुपालन में इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रांक 937/आजी–224/2020 दिनांक 17.09.2020 में मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत विधिक कार्यवाही एवं 1566/ओजी–224/2020 दिनांक 29.10.2020 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ की संस्तुति दिनांक 17.09.2020 एवं 29.10.2020 के आधार पर बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये अपार्टमेंट का निर्माण/संचालन कर परिसर से बाहर प्रदूषित सीवेज निस्तारित करने के कारण मैसर्स उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा – 33ए के अंतर्गत के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये अपार्टमेंट का निर्माण/संचालन कर लिये जाने के कारण सन्दर्भित अपार्टमेंट के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर कम्पनी के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वे आपके अपार्टमेंट को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए अपार्टमेंट को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्यों न मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 का किये गये उल्लंघन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 6250/– प्रति उल्लंघन प्रतिदिन के आधार पर 166 दिनों के उल्लंघन हेतु कुल रू0 10,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दिया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/आख्या पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मै0 उन्नति कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, सेन्ट्रल पार्क, रामासुधा अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़ के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से।</u>

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. सचिव, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या बोर्ड को नियत अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

11/11/20
11/11/20